न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर
अपील सं0 155/2016 अन्तर्गत धारा–76 एल.आर एक्ट
अनवान चान्द खां पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान निवासी सर्वोदय बस्ती, बीकानेर
बनाम सुरजाराम पुत्र मुकनाराम कुम्हार वगैरह (32)

हुक्म दिनांक	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नं0 व तारीख जो तामील में जारी हुए
16.1.2018	आज यह पत्रावली अपीलान्ट श्री चान्द खां जरिये श्री सीताराम अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.1.2018 पर पेशी में ली गयी । अपीलान्ट श्री चान्द खां पुत्र बाबूखां द्वारा जरिये अभिभाषक निवेदन किया गया कि प्रार्थी अपीलान्ट व रेस्पोन्डेंटान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है । दोनों पक्षों में राजीनामा हो जाने से अपीलान्ट इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है । अतः अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर जरिये विड्रा खारिज किये जाने आदेश प्रदान करें । हमने अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16–01–18 एवं अपील का अवलोकन किया । यह द्वितीय अपील न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा प्रथम अपील एल.आर एक्ट सं0 62/2014 अनवान मु0 परमेश्वरी वगैरह बनाम सुरजाराम वगैरह स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 28–9–15 के विरुध्द प्रस्तुत होकर इस न्यायालय में विचाराधीन है । अपीलान्ट इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा विड्रा करना चाहते हैं । अतः यह अपील अपीलान्ट जरिये विड्रावल (Withdrawal) इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्नक शामिल अपील किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । सम्भागीय आयुक्त बीकानेर	86–87 22/1/18